15 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, महात्मा गांधी नरेगा)
शासन सचिवालय, जयपुर

क्रमांक एफ 10(7)ग्रावि/नरेगा/संविदा/2017/01026

जयपुर, दिनांक 4 MAY 2020

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
जिला चूरू एवं हनुमानगढ।

विषय :– महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत संविदा कार्मिक द्वारा 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरान्त सेवा में रखे जाने के संबंध में।

प्रसंग :– जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलक्टर, चूरू एवं हनुमानगढ के पत्र दिनांक 22.01.2020 एवं दिनांक 26.12.2018 के कम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलक्टर, चूरू एवं हनुमानगढ से महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत संविदा पर नियोजित कार्मिकों को अधिकतम आयु तक रखने के संबंध में वित्त विभाग से मार्गदर्शन चाहा गया था। वित्त विभाग द्वारा निम्नानुसार मार्गदर्शन प्रदान किया गया है :–

The maximum age of 60 years for contractual appointment is appropriate and AD is advised that persons above the age of 60 years may not be allowed to continue in service on contract basis by doing so it will provide opportunity to new persons for appointment on contract basis.

अतः वित्त विभाग द्वारा उनकी आइडी संख्या 332000095 एवं दिनांक 06.02.2020 के द्वारा उपरोक्त दिये गये मार्गदर्शन के कम में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत संविदा पर नियोजित कार्मिकों को अधिकतम 60 वर्ष की आयु तक ही सेवा में रखा जाना है। इस संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सम्पादित करने का श्रम करे।

(पी.सी. किशन)
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान, जिला चूरू एवं हनुमानगढ के अलावा समस्त राजस्थान।
2. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
3. रक्षित पत्रावली।

4/05/2020
(पी.के.रावत)
परियोजना अधिकारी, ईजीएस

Scanned with CamScanner